न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 198/2015–16 अन्तर्गत धारा–331जमींoविoएवं भूoव्यoअधिo

सुखवीर सिंह पुत्र श्री दर्शनपाल सिंह निवासी–चेम्बर नं0–12 ब्लाक नं0–1 द्वितीयतल जिला न्यायालय परिसर, देहरादून।

बनाम

दलीपसिंह पुत्र श्री सुग्गन निवासी ग्राम मोहब्बेवाला परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री पीoएसoजंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

आदेश

ये निगरानी आज ग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तुत हुई।

यह निगरानी कलेक्टर, देहरादून के द्वारा अपील संख्या–2/15–16 सुखवीर सिंह बनाम दलीपसिंह अन्तर्गत धारा–143 जoविoअधिo में पारित आदेश दिनांक 01–06–2016 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वर्ष 1958 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप धारा–143 जoविoअधिo के अन्तर्गत परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की घोषणा के विरूद्ध अपील कलेक्टर के ही समक्ष प्रस्तुत हो सकती है की अनदेखी कर विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा उक्त अपील की कार्यवाही इस आशय से समाप्त कर दी गई कि मण्डलायुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाए।

प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार हैः–

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा भूमि खाता संख्या–200 के खसरा संख्या–233ख क्षेत्रफल 0.0530 हे0, खसरा संख्या–235ख क्षेत्रफल 0.0520 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.1050 हे0 स्थित मौजा मोहब्बेवाला परगना केन्द्रीयदून तहसील व जिला देहरादून को धारा–143 जoविoअधिo के अन्तर्गत भूमिधर/उत्तरदाता दलीपसिंह के आवेदन पर अपने आदेश दिनांक 03–06–2015 द्वारा अकृषिक घोषित कर दी गई जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 01–06–2016 के द्वारा यथापूर्व में वर्णित आधार पर निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत परगने के सहायक कलेक्टर द्वारा प्रदत घोषणा की अपील पूर्व में अधिनियम की अनुसूची 2 क्रम संख्या–11 कालम–5 के अनुसार मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत होती थी परन्तु वर्ष 1958 में अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार वर्तमान में ऐसी अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होती है एवं द्वितीय अपील का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत संशोधन वर्ष 1958 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–XIV of 1958 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसकी धारा–83 पृष्ठ संख्या–83 से उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। वैसे भी अधिनियम के 14वें अंग्रेजी संस्करण 2001 में भी उक्त संशोधन द्वारा परिवर्तित स्थिति प्रदर्शित है (पृष्ठ 170)। कदाचित विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष संशोधन की उक्त स्थिति नही प्रस्तुत हुई जिसके कारण आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया गया।

तदनुसार निगरानी ग्रहण कर इसी स्तर पर स्वीकार कर एवं आक्षेपित आदेश अपास्त मूल अपील गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु कलेक्टर, देहरादून को प्रति प्रेषित की जाती है जंहा निगरानीकर्ता दिनांक 22–08–2016 को उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **08–08–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)